माननीय न्यायालय राजस्वमण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रिव्यू 2365-PBR-15

प्र. क्रमांक /2015/रिव्यू

शंकर पिता धन्ना निवासी -ग्राम कोटडा

तहसील सुसनेर जिला शाजापुर म0प्र0

शाजापुर ....प्रार्थी

बनाम

म0प्र0 शासन .....प्रतिप्रार्थी

O. P. Sharma Adv 25-7-15

प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर प्र. क्र. 70/1/12 मे पारितआदेश दिनांक 15. 7. 2014 अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू. रा. संहिता 1959 के तहत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2365–पीबीआर/15 **जिला शाजापुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–8–2015	उभयपक्ष अधिवक्तागण के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 70–एक/12 में पारित आदेश दिनांक 15–07–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकटं कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	